पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजीव कुमार सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8745

01 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या किसी भी खतरे की आशंका न होने पर आवेदक को शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा?

हेडनोट्स

शस्त्र अधिनियम, 1959 - धारा 13, 14 - शस्त्र नियम, 2016 - नियम 12(3)(ग) - शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना बनाम खतरा बोध - शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा बोध नहीं है।

निर्णय: यह एक सुस्थापित कानून है कि हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आवेदक को कोई खतरा नहीं है - हालांकि धारा। शस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 14 शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए मापदंड निर्धारित करती हैं, हालांकि, इसमें पूर्व शर्त के रूप में इस तरह के वर्गीकरण को निर्धारित नहीं किया गया है कि लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे खतरे की आशंका हो - लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदक के आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उसके व्यवसाय, पेशे, नौकरी या अन्य प्रकार की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है, जिससे ऐसे आवेदक को अपने जीवन और/या संपत्ति की रक्षा करने

की वास्तविक आवश्यकता होती है - यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा या आसन्न खतरा हो, लेकिन यह पर्याप्त होगा यदि आवेदक प्राधिकारी को लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से उसके व्यापार, पेशे और व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखने के लिए राजी करने में सक्षम हो - वर्तमान मामले में, प्रतिवादी प्राधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता एक व्यापारी और मकान मालिक है, इसलिए व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसके जीवन को खतरा है - (अनुच्छेद – 3, 4, 6)

न्याय दृष्टान्त

मनीष कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2015(4) पीएलजेआर 212;** बिहार राज्य बनाम दीपक कुमार, **2019(1) पीएलजेआर 664 .....**पर आधारित।

अधिनियमों की सूची

शस्त्र अधिनियम, 1959

मुख्य शब्दों की सूची

शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के मानदंड; खतरे की आशंका; सुरक्षा और संरक्षा का खतरा; लाइसेंसिंग प्राधिकारी; व्यवसाय; पेशे; नौकरी की प्रकृति

प्रकरण से उत्पन्न

जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा पारित दिनांक 23.05.2017 का आदेश; साथ ही दिनांक 28.04.2018 का अपीलीय आदेश जिसके तहत याचिकाकर्ता का शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री प्रवीण प्रभाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री मनीष कुमार, जीपी-4

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8745

==========

राजीव कुमार सिंह उर्फ राजिव कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय राम बिहारी सिंह, निवासी, मोहल्ला-साहेबगंज, आर्य समाज रोड, छपरा, डाकघर- छपरा, थाना- छपरा टाउन, जिला- छपरा (सारण)।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. आयुक्त, सारण प्रभाग, छपरा (सारण)।
3. जिला दंडाधिकारी, छपरा (सारण)।
4. उप-मंडल अधिकारी, छपरा सदर, छपरा (सारण)।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, छपरा (सारण)।
6. पुलिस अधीक्षक, छपरा (सारण)।
7. अंचल अधिकारी, अंचल कार्यालय, सदर छपरा, सारण।
8. प्रभारी पदाधिकारी, छपरा टाउन पुलिस स्टेशन, छपरा (सारण)।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रवीण प्रभाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री मनीष कुमार, जीपी-4

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 01-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका छपरा में जिला दंडाधिकारी, सारण द्वारा पारित दिनांकित 23.05.2017 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत और जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस देने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा नहीं है। याचिकाकर्ता ने दिनांकित 28.04.2018 के अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील, 2017 की शस्त्र अपील मामला सं. 86, को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है

कि चूंकि जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा ने पहले ही यह निर्धारित कर दिया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को सुरक्षा और संरक्षा का कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि याचिकाकर्ता एक जमींदार है और उसके पास कृषि भूमि के साथ-साथ आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां भी हैं, जिसके कारण उसे असामाजिक तत्वों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसने 23.07.2015, को एक आवेदन दायर करके शस्त्र लाइसेंस देने और डी.बी.बी.एल. बंदूक के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था, जो उसके मृत पिता के पास थी, हालांकि, इसे छपरा के विद्वान जिला दंडाधिकारी, सारण द्वारा दिनांकित 23.05.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को उसके जीवन या संपत्ति को कोई खतरा नहीं है। याचिकाकर्ता ने तब 2017 की शस्त्र अपील मामला सं. 86, अपील दायर करके उक्त आदेश दिनांकित 23.05.2017 को चुनौती दी थी, हालांकि, इसे भी दिनांकित 28.04.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दिनांकित 23.05.2017 और 28.04.2018 के उपर्युक्त आदेशों को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती के समर्थन में यह तर्क दिया है कि केवल खतरे की आशंका का न होना ही किसी आवेदक को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने से वंचित नहीं करेगा, इस संबंध में, उन्होंने ***मनीष कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य*** के मामले में दिए गए एक निर्णय का हवाला दिया है, जो ***2015(4) पी.एल.जे.आर. 212*** में प्रतिवेदित हुआ है, जिसके कंडिका सं. 20 और 22 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> *"20. इसी तरह, अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि धारा 13 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लाइसेंस*

प्राधिकरण कुछ आधारों पर हथियारों का लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। अधिनियम की धारा 14 में कहीं भी यह खुलासा नहीं किया गया है कि आवेदक पर खतरे की धारणा के बारे में किसी भी सबूत की कमी भी शस्त्र लाइसेंस से इनकार करने का आधार बन सकती है।

22. निश्चित रूप से, अधिनियम की धारा 13 या 14 में निर्धारित कारणों पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि, लाइसेंस प्रदान करने या लाइसेंस प्रदान करने से इंकार करने के लिए एक पूर्व शर्त होगी, लेकिन खतरे की आशंका से संबंधित तथाकथित साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 या 14 में से किसी में भी विशिष्ट स्थान नहीं मिलता है। जहाँ तक अधिनियम की धारा 14(1)(ख)(i)(3) का संबंध है, वह केवल तभी लागू होती है जब आवेदक को कानून के तहत प्रदान किए गए किसी भी कारण से अनुपयुक्त पाया जाता है, लेकिन तथाकथित खतरे की आशंका, धारा 13 या धारा 14 में से किसी में भी कोई आधार नहीं होने के कारण, कोई भी यह सोच में पड़ सकता है कि यह लाइसेंस अस्वीकार करने का आधार कैसे बन सकता है। इसी तरह, इस संबंध में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में केंद्रीय सरकार या किसी प्राधिकरण का ऐसा विचार भी सार्थक नहीं होगा। केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांकित 31.03.2010 के पत्र पर इस न्यायालय की एक एकल पीठ ने 2013 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 2503, (राम बचन राय बनाम बिहार राज्य और अन्य) के मामले में लाइसेंस अस्वीकार करने के लिए खतरे की आशंका के मुद्दे पर विचार करते हुए विचार किया है. उपरोक्त रिट आवेदन को 25.08.2014 के आदेश द्वारा निपटाते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित राय व्यक्त की है:-

> "यहां तक कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार का परिपत्र भी कोई रोक नहीं लगाता है।

परिपत्र के कंडिका ii(क) में, वास्तव में, केवल यह प्रावधान है कि उन व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने खतरे का अनुभव किया है। इस तरह की आवश्यकता किसी भी तरह से ऐसे व्यक्तियों को बाहर नहीं करेगी जो इस तरह के किसी भी खतरे का सामना नहीं करते हैं और इस साधारण कारण से कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र में ऐसी कोई शर्त लगाई जा रही है, वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगी।"

4. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह एक सुस्थापित कानून है कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को खतरे की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 और 14, यद्यपि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए मापदंड निर्धारित करती हैं, तथापि, यह ऐसी कोई वर्गीकरण पूर्व-शर्त के रूप में निर्धारित नहीं करती है कि लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे खतरे की आशंका है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दिनांकित 23.05.17 और 28.04.2018 के उपर्युक्त आदेशों को चुनौती देने के लिए एक अतिरिक्त आधार भी उठाया है कि शस्त्र नियम, 2016 के नियम 12(3)(ग) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदक के आवेदन पर विचार करते समय व्यवसाय, पेशे, नौकरी या अन्यथा की प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिससे ऐसे आवेदक को अपने जीवन और/या संपत्ति की रक्षा के लिए वास्तविक आवश्यकता हो। यह दर्शाया गया है कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले को खारिज करते समय उपर्युक्त दो अधिकारियों द्वारा इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता एक व्यवसायी और भूस्वामी है, अतः व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसे अपने जान को खतरा है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने

इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा ***बिहार राज्य बनाम दीपक कुमार*** के मामले में संदर्भित एक निर्णय का उल्लेख किया है, जो ***2019(1) पी.एल.जे.आर. 664*** में प्रतिवेदित हुआ है, जिसका कंडिका सं. 12 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"12.* जिला दंडाधिकारी *का आदेश, जैसा कि सूचित किया गया है, किसी भी वैध कारण के अस्तित्व का संकेत नहीं देता है, लेकिन साथ ही, आयुक्त द्वारा पारित अपील में आदेश इंगित करता है कि पुलिस* प्रतिवेदन *में अपीलकर्ता के लिए किसी विशिष्ट सुरक्षा खतरे या खतरे का कोई उल्लेख नहीं था। हमारी राय में, ऐसा आधार लाइसेंस प्रदान करने के इरादे के विपरीत होगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा या आसन्न खतरे की आशंका हो, बल्कि यह पर्याप्त होगा यदि आवेदक प्राधिकरण को अपने व्यापार, पेशे और व्यवसाय की प्रकृति को लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखने के लिए मना सके, जिस स्थिति का अब 2016 के नियमों के नियम 12 के उप-नियम (3)(क) के तहत ध्यान रखा गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, लाइसेंस देने या अस्वीकार करने के प्रश्न पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार करना होगा, जहां लाइसेंस प्राधिकरण के पास पुलिस* प्रतिवेदन *या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नियमों के अनुसार मूल्यांकन करने की शक्ति होगी जो उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसलिए, महाधिवक्ता अपने इस तर्क में सही हैं कि ऐसे कारण के संबंध में कोई सर्वव्यापी घोषणा नहीं हो सकती है, जो लाइसेंस अस्वीकार करने या प्रदान करने का भी हिस्सा हो सकता है, अर्थात् किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को किसी खतरे या आसन्न खतरे की संभावना या संभाव्यता। हमारी राय में, ऐसे कारक स्वीकार्य*

कारक हैं, विशेष रूप से 2016 के नियमों के आलोक में, जो अब स्थिति का ध्यान रखते हैं।

5. इसके विपरीत, यद्यपि उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांकित 23.05.2017 और 28.04.2018 के आक्षेपित आदेश का प्रबल समर्थन किया है, फिर भी उन्होंने यह दलील दिया है कि यदि मामला वापस भेजा जाता है, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए मामले के उपरोक्त पहलुओं की जांच की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।

6. उपर्युक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और ऊपर बताए गए कारणों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा मनीष कुमार (उपरोक्त) और दीपक कुमार (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, मैं वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करना उपयुक्त और न्यायोचित समझता हूँ, दिनांकित 28.04.2018 को सारण प्रमंडल, छपरा के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को निरस्त करता हूँ तथा मामले को पुनः विचारार्थ सारण प्रमंडल, छपरा के आयुक्त को यह निर्देश देते हुए वापस भेजता हूँ कि वे उपर्युक्त पहलुओं पर पुनर्विचार करें और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करें। यह पुरी कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्त/प्रस्तुत होने की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

7. रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति)

सोनल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।